



प्रसंग संख्या: एएआई/क्षे.मु./पूर्वोत्त.क्षेत्र/इंजी-सी/तेजू/डब्ल्यूटीडब्ल्यूजी/2026-27 तारीख:13.10.2026

(निविदा आईडी: 2026_AAI_294422_1)

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (2 बीओटी - 2 लिफाफा खुली निविदा)

1. सहायक महाप्रबंधक (अभि-सिविल), भा.वि.प्रा, क्षेत्रीय मुख्यालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी-781015 (बोली प्रबंधक) द्वारा अध्यक्ष, भाविप्रा की ओर से पात्र ठेकेदारों से ई-टेंडरिंग सीपीपी पोर्टल के माध्यम से अगरतला हवाईअड्डा पर “तेजू एयरपोर्ट, तेजू के ऑपरेशनल एरिया की वॉल टू वॉल ग्रेडिंग”, जिसका अनुमानित लागत ₹10,20,93,351/- (जीएसटी को छोड़कर) और 12 महीनों की पूर्णता अवधि है (जिसमें 02 महीने बारिश के लिए शामिल हैं), के लिए आइटम दर ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा प्रक्रिया CPP-पोर्टल URL पते <http://etenders.gov.in/eprocure/app> या www.aai.aero पर ऑनलाइन है। संभावित निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज को डाउनलोड करके देख सकते हैं।

संभावित निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वे CPP-पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करें, 'लॉगिन आईडी' और 'पासवर्ड' प्राप्त करें और CPP-पोर्टल <http://etender.gov.in/eprocure/app> या www.aai.aero पर लॉग इन करने के बाद होम पेज पर उपलब्ध निर्देशों को पढ़ें। उन्हें समानांतर रूप से डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) भी प्राप्त करना चाहिए जो उनके आवेदन जमा करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। प्रक्रिया में आमतौर पर 03 दिन का समय लगता है। निविदादाता पाथ aai.aero/tender/e-tender/help desk support के माध्यम से भाविप्रा हेल्प डेस्क सहायता से मार्गदर्शन भी ले सकते हैं।

किसी भी तकनीकी संबंधी प्रश्नों के लिए कृपया हेल्पडेस्क पर कॉल करें। 24 x 7 चलनेवाले हेल्प डेस्क का विवरण नीचे दिया गया है:-

टेलीफोन: 0120-4711508, 0120-4001002, 0120-4001005, 0120-6277787

ई-मेल: support-eproc@nic.in

अंतर्राष्ट्रीय बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे देश कूट संख्या के रूप में पहले 91 कंट्री कोड लगाएँ।

- (i) निविदादाताओं से अनुरोध है कि वे किसी भी मुद्दे पर ईमेल करते समय संपर्क विवरण के साथ पोर्टल का URL और टेंडर आईडी का उल्लेख करें।

पूछताछ से पहले, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे “बोलीदाताओं के लिए दिशा-निर्देश” में दिए गए निर्देशों का पालन करें और अपने कंप्यूटर पोर्टल में सिस्टम को “CPPPP के लिए सिस्टम सेटिंग्स” में निर्दिष्ट अनुशंसित सेटिंग्स के अनुसार कॉन्फिगर करें।



(ii) सीपीपी पोर्टल के कामकाज के संबंध में किसी भी अन्य तकनीकी सहायता हेड निविदादाता निम्नलिखित एएआई हेल्प डेस्क नंबरों पर सभी कार्य दिवसों में केवल निम्नलिखित के मध्य संपर्क कर सकता है।

क्रम सं.	सहायक व्यक्ति	वृद्धि मैट्रिक्स	ई-मेल पता	दूरभाष	समयावधि
	तकनीकी सहायता डेस्क टीम	तत्काल सहायता	eprochelp@aai.aero	011-24632950, एक्सटेंशन 3512	0800-2000 बजे तक (सोमवार-शनिवार)
	कनिष्ठ कार्यपालक(सूचना व प्रौद्योगिकी)	इश्यू के 4 घंटे बाद	etendersupport@aai.aero या vaibhav_g@aai.aero	011-24632950, एक्सटेंशन 3523	0930-1800 घंटे
	वारिष्ठ प्रबन्धक (आईटी)	12 घंटे बाद	shripatim@aai.aero	011-24632950, एक्सटेंशन 3509	0930-1800 घंटे (सोमवार - शुक्रवार)
	संयुक्त महाप्रबंधक (आईटी)	24 घंटे बाद	Sunil.km@aai.aero	011-24632950 एक्सटेंशन 3506	0930-1800 घंटे (सोमवार - शुक्रवार)
	महाप्रबंधक (आईटी)	03 दिनों के बाद	gmit@aai.aero	011-24657900	0930-1800 घंटे (सोमवार - शुक्रवार)

*सभी सरकारी राजपत्रित छुट्टियों पर हेल्प डेस्क सेवाएं बंद रहेंगी।

टेंडर तय किए गए फॉर्म में और 'टू-बिड सिस्टम' (दो-चरण वाली बोली प्रक्रिया) के तहत मंगाए जाएंगे:

- बिड लिफ़ाफ़ा-I:** NIT के अनुसार फ़ीस, EMD/तकनीकी बोली/योग्यता बोली
- बिड लिफ़ाफ़ा-II:** ENIT के अनुसार वित्तीय/मूल्य बोली



निविदा प्रसंस्करण शुल्क ₹ 3540/- (आई/सी जीएसटी सहित प्रभारित), गैर अप्रत्ययणीय, केवल सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान किया जाना आवश्यक होगा।

बयाना राशि (EMD) ₹ 30,62,801/- (तीस लाख बासठ हजार आठ सौ एक रुपया मात्र) की बयाना राशि CPP पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करनी होगी।

या

बयाना राशि (EMD) को योग्य बीमाकर्ता से इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड के रूप में या किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक (यानी रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया एक्ट, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल भारतीय और विदेशी बैंक, जिसमें को-ऑपरेटिव/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल नहीं हैं) से बैंक गारंटी (ई-बैंक गारंटी सहित) के रूप में जमा किया जा सकता है।

बैंक गारंटी (PBG/BG-SD/FBG) नीचे दी गई बैंक जानकारी के अनुसार होनी चाहिए:

कॉर्पोरेट का नाम : एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया

बैंक का नाम : ICICI बैंक

IFSC कोड : ICIC00000007

BG एडवाइजिंग मैसेज : IFN760COV (BG जारी करना)

: IFN767COV (BG में संशोधन)

यूनिक आइडेंटिफायर कोड (7037) : AAIRHQNER

2. टेंडर भरने वाले को नीचे लिखा दिए गए शेड्यूल के अनुसार, लिफाफा I और II में नीचे बताए गए दस्तावेजों के साथ CPP-पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करना होगा: -

महत्वपूर्ण डेटा शीट

प्रकाशन तिथि	14.10.2026 को 18:00 बजे.
बोली दस्तावेज़ डाउनलोड/बिक्री आरंभ की तिथि	15.10.2026 को 09:30 बजे.
स्पष्टीकरण आरंभ की तिथि	15.10.2026 को 09:30 बजे.
स्पष्टीकरण समाप्ति की तिथि	23.10.2026 को 17:00 बजे तक.
बोली जमा करने की आरंभ तिथि	15.10.2026 को 09:30 बजे.
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	07.11.2026 को 18:00 बजे तक.
अगर CPP पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान नहीं किया गया है, तो EMD के बदले ओरिजिनल इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड या BG जमा करने की आखिरी तारीख और समय।	16.11.2026 को 18:00 बजे तक.
बोली खोलने की तिथि (लिफाफा - I)	17.11.2026 को 11:00 बजे.
बोली खोलने की तिथि (लिफाफा - II)	23.11.2026 को 11:00 बजे (संभावित)



नोट:

1. यदि बोलीदाता के पास बोली दस्तावेज के कार्य से संबंधित कोई प्रश्न है, तो उन्हें स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए सीपीपी पोर्टल पर 'स्पष्टीकरण मांगें' का उपयोग करना चाहिए। इस संबंध में पत्रचार का कोई अन्य साधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. किसी भी स्थिति में, बोली प्रक्रिया से संबंधित सवाल स्वतंत्र बाहरी मॉनिटरों (IEMs) को नहीं भेजे जाएंगे।

लिफाफा-I (EMD, यदि CPP पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान नहीं किया गया है, तकनीकी बोली और पूर्व-योग्यता): - बोली जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क. अगर EMD का पेमेंट CPP पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं किया गया है:

- i) EMD के बदले इश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड/BG की स्कैन की हुई कॉपी (GCC के Appendix-IA/ XI-D के अनुसार) और साथ में SFMS (स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम) BG कन्फर्मेशन मैसेज की कॉपी, जो BG जारी करने वाले बैंक ने ICICI बैंक को भेजा हो (अगर CPP पोर्टल पर EMD का ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया गया है)। साथ ही, बैंक गारंटी/इश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड के रूप में जमा करने पर अंडरटेकिंग लेटर (GCC के Appendix- XI-A/ XI-E के अनुसार) भी देना होगा। JV के मामले में, EMD/परफॉर्मेंस गारंटी के लिए बैंक गारंटी या तो कंसोर्टियम फर्म के नाम पर या प्रोजेक्ट में अपने JV शेयर के अनुपात में सभी अलग-अलग पार्टनर्स के नाम पर स्वीकार की जाएगी।

ख. तकनीकी बोली जिसमें निम्नलिखित शामिल है:

- i) बोलीदाता के लेटर हेड पर निविदा स्वीकृति पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) और जीएसटी पंजीकरण संख्या की स्कैन की गई प्रति।
- iii) बोलीदाता के लेटर हेड पर ब्लैकलिस्टिंग/डिबारमेंट के संबंध में 'अंडरटेकिंग' की स्कैन की गई प्रति।
- iv) फॉर्म-ए की स्कैन की गई प्रति - पिछले सात वर्षों के दौरान पूर्ण किए गए समान कार्यों का विवरण, क्लाइंट द्वारा जारी किए गए पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ।
- v) फॉर्म-बी की स्कैन की गई प्रति - वित्तीय जानकारी।
- vi) फॉर्म-सी की स्कैन की गई प्रति - शुद्ध मूल्य।
- vii) फॉर्म-D की स्कैन की गई कॉपी, वित्तीय डेटा (सामान्य निर्माण कार्य का वार्षिक मूल्य) की स्कैन की गई प्रति - (पिछले 5 वर्षों के दौरान किया गया कार्य)
- viii) परिशिष्ट-XVIII के अनुसार हस्ताक्षरित इंटिग्रिटी पैक्ट (Integrity Pact) की स्कैन की गई प्रति



- ix) बोलीदाता कंपनी के लेटर हेड पर 'अंडरटेकिंग' की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करेगा कि मैं/हम समय अवधि के भीतर हमारे लिए लक्षित खास कार्य/लक्ष्य और समग्र पूर्णता को प्राप्त करने के लिए प्रभारी अभियंता (ई-आई-सी) के परामर्श से कार्य की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त संयंत्र और मशीनरी तैनात करेंगे।
- x) स्वामित्व फर्म के अलावा बोलीदाताएं प्राधिकरण पत्र/पावर ऑफ अटॉर्नी की स्कैन की गई प्रति के साथ कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी के निगमन के प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करेंगे जिसमें कंपनी का सीआईएन/एलएलपीआईएन/निदेशकों का नाम और पावर ऑफ अटॉर्नी सौंपने के अधिकार के संबंध में बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति दर्शाई गई हो। स्वामित्व फर्म को प्राधिकरण पत्र/पावर ऑफ अटॉर्नी की स्कैन की गई प्रति तभी प्रस्तुत करनी होगी जब निविदा को स्वामी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संसाधित किया जाता हो।
- xi) विधिवत भरा गया पीक्यू परफॉर्मा।
- xii) AAI में कोई रिश्तेदार काम न करने का अंडरटेकिंग (एनेक्ज़र-IV, के अनुसार)
- xiii) EPF और ESIC रजिस्ट्रेशन की स्कैन की हुई कॉपी (अगर एजेंसी के पास EPF और ESIC का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उन्हें इस बारे में एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि काम मिलने के बाद वे EPF और ESIC के साथ रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और काम मिलने से पहले उसे जमा कर देंगे।)

ग. ठेकेदारों/निविदाकर्ताओं की योग्यता संबंधी आवश्यकताएं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. पिछले सात वर्षों के दौरान महीने के अंतिम दिन जिसमें निविदाएँ आमंत्रित हैं- यानी सिविल / अर्थवर्क / ग्रेडिंग प्रोजेक्ट्स: - टेंडर बुलाए जाने वाले महीने से ठीक पहले वाले महीने के आखिरी दिन तक, पिछले सात सालों में एयरपोर्ट, हाईवे या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भारी मशीनों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर अर्थवर्क, लेवलिंग, ग्रेडिंग या ज़मीन को तैयार करने का काम के एकल अनुबंध में **तीन कार्य**, जिनमें से प्रत्येक की लागत ₹ **4,08,37,340** हो या **दो कार्य**, जिनमें से प्रत्येक की लागत ₹ **5,10,46,675** हो या **एक कार्य**, जिसमें से प्रत्येक की लागत ₹ **8,16,74,681** हो, सफलतापूर्वक या पर्याप्त रूप से पूर्ण किया हो।

पिछले सात वर्षों के दौरान पूरे किए गए समान कार्यों का विवरण नीचे दिए गए प्रारूप-फॉर्म-ए में ग्राहक द्वारा जारी किए गए समर्थित दस्तावेजों के साथ।

नोट:

1. जीएसटी काल से पहले पूरे किए गए कार्यों के अनुभव प्रमाण पत्र, पूर्णता राशि को 1.12 से विभाजित किया जाएगा (जीएसटी से पहले के करों को छोड़कर) ताकि इसे जीएसटी



काल के बाद के अनुभव प्रमाण पत्रों के बराबर बनाया जा सके, लेकिन जीएसटी को छोड़कर।

2. बैक-टू-बैक अनुबंध/उप-अनुबंध के आधार पर कार्य निष्पादित करके प्राप्त अनुभव निम्नलिखित शर्तों में स्वीकार्य है:

(ए) काम वास्तव में द्वितीय एजेंसी (उप-ठेकेदार) द्वारा मालिक की त्रिपक्षीय समझौते/लिखित अनुमोदन के रूप में उचित सहमति के साथ निष्पादित किया जाना चाहिए। इसे वैध समझौते और अनुभव प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

(बी) द्वितीय एजेंसी द्वारा प्राप्त भुगतान टीडीएस प्रमाण पत्रों में परिलक्षित होना चाहिए।

3. विशिष्ट प्रकृति के कार्यों के लिए समेकित कार्यों में प्राप्त अनुभव (विशिष्ट मर्दों/कार्यों/कार्यों की सूची जो भाविप्रा कार्य मैनुअल के पैरा 35.3 में उल्लिखित है) मुख्य ठेकेदार द्वारा या तो इन-हाउस विशेषज्ञता और अनुभव के द्वारा या अनुबंध की शर्तों के अनुसार मुख्य ग्राहक के अनुमोदन से विशेष एजेंसियों को शामिल करके निष्पादित किए गए थे। ऐसे स्थिति में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मुख्य ठेकेदार और विशिष्ट एजेंसी दोनों को अपने संबंधित ग्राहकों से समान कार्य के लिए अनुभव प्रमाण पत्र मिलता है, अर्थात् मुख्य ठेकेदार मालिक से विशिष्ट कार्यों के साथ समेकित कार्य के लिए और विशेष एजेंसी से मुख्य ठेकेदार से विशिष्ट कार्य के लिए।

इस स्थिति में, या तो विशेष एजेंसी या इन-हाउस विशेषज्ञता और अनुभव वाली मुख्य एजेंसी का अनुभव प्रमाण पत्र, जिसने वास्तव में विशिष्ट कार्य निष्पादित किया है, समान विशिष्ट प्रकृति के कार्यों में तकनीकी/पूर्व योग्यता मानदंड हेतु विचार किया जाएगा।

4. पर्याप्त पूर्णता, अनुबंध के तहत अधिक मूल्य- वार कार्य का 80 (अस्सी) प्रतिशत प्रदत्त लागत पर वास्तविक पूर्णता पर आधारित होगी। पर्याप्त पूर्णता का आधार कॉन्ट्रैक्ट के तहत 80 (अस्सी) प्रतिशत (मूल्य के हिसाब से) या उससे ज्यादा काम का पूरा होना होगा। पर्याप्त पूर्णता को सिर्फ प्रतिशत के आधार पर परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यह काम के इस्तेमाल लायक होने (functional consideration) पर आधारित होना चाहिए।

प्रोजेक्ट/काम/एसेट के पर्याप्त पूर्णता का सर्टिफिकेट दो हिस्सों में होना चाहिए। पहले हिस्से में 'किए गए काम का वित्तीय मूल्य' और दूसरे हिस्से में 'प्रोजेक्ट/काम/एसेट के चालू होने/इस्तेमाल लायक होने का सर्टिफिकेट' शामिल होना चाहिए।



“निष्पादित कार्यों का मूल्य, कार्य के वास्तविक मूल्य को 7% प्रति वर्ष के साधारण दर से बढ़ाकर वर्तमान लागत स्तर पर लाया जाएगा, जिसकी गणना पूर्णता की तिथि से बोली खोलने की तिथि (कवर-I/तकनीकी बोली) तक की जाएगी।

अनुभव के लिए क्लैरेंट को प्रमाणपत्र में किए गए कार्य की प्रकृति, कार्य का मूल्य, प्रारंभ की तिथि, अनुबंध के अनुसार पूर्णता की तिथि, पूर्णता की वास्तविक तिथि और कार्य का संतोषजनक समापन दर्शाया जाना चाहिए। गैर-सरकारी/गैर-पीएसयू संगठनों से कार्य अनुभव प्रमाण पत्र दिखाने वाले निविदादाताओं को पंजीकृत सनदी लेखाकार द्वारा जारी प्रमाण - पत्र के साथ स्रोतों पर कर की कटौती (टीडीएस) प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसमें कार्य का नाम, कार्य के विपरीत प्राप्त कुल भुगतान और कार्य के लिए टीडीएस राशि स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हो।

- ii. पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार ₹ **3,61,41,046/-** [अनुमानित लागत के 1.18 गुना का 30% (जीएसटी को छोड़कर)] होना चाहिए। वित्तीय जानकारी - फॉर्म-बी दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। पिछले तीन वर्षों के दौरान लगातार घाटा दिखाने वाले निविदाकारों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

आवेदक ने चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित सामान्य निर्माण कार्य का न्यूनतम वार्षिक मूल्य प्राप्त कर लिया हो तथा उसका कम से कम 50 (पचास) प्रतिशत पिछले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त पिछले पांच (05) वर्षों के दौरान किसी भी वर्ष में किए गए इंजीनियरिंग (सिविल) निर्माण कार्यों से प्राप्त हो, जिसकी गणना विषय अनुबंध पर अनुमानित वार्षिक निर्माण व्यय में 1500 करोड़ रुपये तक की लागत वाली परियोजना के लिए 2 का गुणक तथा 1500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 1.5 का गुणक लगाकर की गई हो।

- iii) निविदाकार के पास प्रमाणित सनदी लेखाकारद्वारा जारी 31 मार्च, 2025 तक न्यूनतम ₹ **1,53,14,003** /- की निवल संपत्ति होनी चाहिए जिसे प्रमाण पत्र में दिए गए प्रारूप- फॉर्म-सी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कंपनी की निवल संपत्ति पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 30% से अधिक कम नहीं होनी चाहिए।

ऊपर बताए गए लिफाफे-I (**Envelope-I**) के सभी दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी **CPP** पोर्टल पर जमा करनी होगी। अगर **EMD** का भुगतान **CPP** पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं किया जाता है, तो **EMD** के बदले इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड/**BG** की ओरिजिनल/हार्ड कॉपी



'CRITICAL DATA SHEET' में बताई गई तारीख और समय पर या उससे पहले AGM (Engg-Civil), भा.वि.प्रा, क्षेत्रीय मुख्यालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी-781015 को जमा/भेजनी होगी। जिन बोलीदाताओं (bidders) का इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड/BG 'CRITICAL DATA SHEET' में बताई गई तारीख और समय तक नहीं मिलेगा, उनके टेंडर रद्द किए जा सकते हैं। डाक से होने वाली किसी भी देरी पर विचार नहीं किया जाएगा।

लिफाफा-II:- सीपीपी पोर्टल के माध्यम से वित्तीय ई-बोली।

सभी दरें दिए गए प्रारूप में उद्धृत की जाएंगी और कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य नहीं होगी। यदि निविदा दस्तावेज के साथ मूल्य बोली मानक बीओक्यू प्रारूप के रूप में दी गई है, तो उसे सभी निविदादाताओं द्वारा डाउनलोड करके भरा जाना चाहिए। निविदादाताओं को बीओक्यू फ़ाइल डाउनलोड करनी होगी, उसे खोलना होगा और नीले रंग के (अना-आवरण) खाने को अपने संबंधित वित्तीय उद्धरण और अन्य विवरण (जैसे निविदादाता का नाम) के साथ भरना होगा। कोई अन्य खाने नहीं बदला जाना चाहिए। विवरण पूरा हो जाने के बाद, निविदादाता को फ़ाइल नाम बदले बिना इसे सहेजना चाहिए और ऑनलाइन जमा करना चाहिए। यदि निविदाकर्ता द्वारा बीओक्यू फ़ाइल को संशोधित पाया जाता है, तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

3. ईएमडी की वापसी

न्यूनतम बोली लगाने वाले को छोड़कर सभी बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई ईएमडी वित्तीय बोली खुलने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता की ईएमडी ईएमडी राशि/प्रदर्शन बैंक गारंटी के बराबर प्रतिभूति जमा प्राप्त होने पर वापस कर दी जाएगी।

4. बोली जमा करना: -

निविदादाता अपना आवेदन केवल सीपीपी पोर्टल <https://etenders.gov.in/eprocure/app> पर जमा करेंगे। निविदादाता/ठेकेदार को सलाह दी जाती है कि वे बोलियों को ऑनलाइन जमा करने के लिए निविदा दस्तावेज में दिए गए निर्देशों का पालन करें। निविदादाताओं को पैरा 2 के अनुसार स्कैन किए गए दस्तावेजों की डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित फ़ाइल अपलोड करना आवश्यक है। बोली दस्तावेजों को काले और सफेद विकल्प के साथ 100 डीपीआई के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेज के आकार को कम करने में मदद करता है।

ऊपर निर्दिष्ट स्थान के अलावा अन्य स्थान पर आवेदन अपलोड करने पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन की हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी।

5. व्यापारिक संबंध रखने वाले एक निविदादाता या निविदादाताओं द्वारा एक से अधिक निविदा प्रस्तुत नहीं की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में पिता और उसके पुत्र या अन्य करीबी रिश्तेदार जिनका एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध है (अर्थात् जब एक या अधिक साझेदार/निदेशक को समान हों) को अलग-अलग प्रतिस्पर्धी के रूप में एक ही अनुबंध के



लिए निविदा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस शर्त का उल्लंघन करने पर दोनों पक्षों की निविदाएं अस्वीकृत की जा सकती हैं।

6. निविदाकर्ता जिसने केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) की वेबसाइट <http://etenders.gov.in/eprocure/app> से निविदा डाउनलोड की है, वह किसी भी तरह से डाउनलोड की गई मूल्य बोली टेम्पलेट सहित निविदा फॉर्म में छेड़छाड़/संशोधन नहीं करेगा। यदि किसी भी तरह से छेड़छाड़/संशोधन पाया जाता है, तो निविदा पूरी तरह से अस्वीकृत कर दी जाएगी और ईएमडी जब्त कर ली जाएगी और निविदाकर्ता को भाविप्रा के साथ व्यापार करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

7. **बोली खोलने की प्रक्रिया निम्नानुसार है: -**

लिफाफा-I (EMD, तकनीकी बोली और पूर्व-योग्यता):

पैरा 2 (ए) और (बी) के अनुसार दस्तावेजों वाले लिफाफा-I (निविदादाताओं द्वारा अपलोड किए गए) को क्रिटिकल डेटा शीट में उल्लिखित तिथि और समय पर खोला जाएगा।

यदि लिफाफा-I में अपलोड किए गए दस्तावेजों में कमी के बारे में निविदादाता से कोई स्पष्टीकरण चाहिए, तो उसे सीपीपीपी पोर्टल के माध्यम से इसे प्रदान करने के लिए कहा जाएगा। निविदाकर्ता एएआई द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर अपेक्षित स्पष्टीकरण/दस्तावेज अपलोड करेगा, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि बोलीदाता के पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ नहीं है और बोली का मूल्यांकन तदनुसार किया जाएगा।

उनकी बोलियों की स्वीकृति/अस्वीकृति के बारे में सूचना सीपीपीपी पोर्टल के माध्यम से निविदादाताओं को दी जाएगी।

लिफाफा-II (वित्तीय बोली): तकनीकी मानदंडों और अर्हता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले निविदाकर्ताओं की वित्तीय बोली वाला लिफाफा-II क्रिटिकल डेटा शीट में उल्लिखित तिथि और समय पर खोला जाएगा। (यदि लिफाफा-II (वित्तीय बोली) खोलने की तिथि और समय में परिवर्तन करना आवश्यक है, तो इसकी सूचना सीपीपीपी पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी)।

8. भाविप्रा बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एएआई बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर निविदा प्रक्रिया को बंद करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
9. भाविप्रा उन कार्य एजेंसियों को काम पर नहीं आने देने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिनका चालू परियोजनाओं में प्रदर्शन औसत से कम और आमतौर पर खराब है और जिन्हें एएआई के किसी भी विभाग द्वारा प्रतिबंध/अस्थायी या स्थायी निषेध/काली सूची में डालने का पत्र जारी किया गया है। भाविप्रा किसी भी चरण (कार्य दिए जाने से पहले या बाद में) पर निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किए गए क्रेडेंशियल को सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि किसी भी चरण में, आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी/दस्तावेज गलत/झूठे पाए जाते हैं या उनमें कुछ विसंगतियां हैं जो निविदाकर्ता को अयोग्य बनाती हैं, तो एएआई निम्नलिखित कार्रवाई करेगा:



- क) निविदादाता द्वारा प्रस्तुत ईएमडी की पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।
- ख) निविदादाता भाविप्रा में निविदा देने से दो साल तक की अवधि के लिए वारण के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें किसी भी अन्य उचित संविदात्मक/कानूनी कार्रवाई के अलावा अनुबंध की समाप्ति भी शामिल है।
10. कंसोर्टियम/जोड़ी कंपनियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
 11. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को खरीद वरीयता स्वीकृति की तिथि पर भारत सरकार के निर्देशानुसार लागू होगी।
 12. डीआईसी/एनएसआईसी/केवीआईसी/केवीआईबी/हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय आदि के साथ पंजीकृत भारतीय सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) इकाइयों को रियायतें, एमएसई आदेश 2012 के प्रावधानों के अनुसार दी जाएंगी, जिसमें नवीनतम संशोधन भी शामिल हैं, जो आपूर्ति/सेवाओं की निविदाओं के लिए लागू होंगी और निर्माण कार्य तक विस्तारित नहीं होंगी।
 13. निविदादाताओं को एनआईटी शर्तों के अनुसार विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) से उत्पन्न दस्तावेज़ जैसे वित्तीय जानकारी (हानि/लाभ के साथ टर्नओवर), निवल संपत्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत करना होगा, जो सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित हो और जिसमें यूडीआईएन हो। बोलीदाताओं द्वारा यूडीआईएन के बिना प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों पर विचार नहीं किया जाएगा।
 14. उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 दिनांक 16.09.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या P-45021/2/2017-PP(BE-II) के अनुसार लागू है।
 15. सामान्य वित्तीय नियम (GFR) 2017 के नियम 144 (xi) के अंतर्गत प्रतिबंध के संबंध में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (सार्वजनिक खरीद प्रभाग) के आदेश संख्या F-6/18/2019-PPD दिनांक 23/07/2020 के आधार पर भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोलीदाता द्वारा पंजीकरण की आवश्यकता लागू होगी। बोलीदाता को इस संबंध में कंपनी के लेटर हेड पर 'अंडरटेकिंग' की स्कैन की हुई प्रति प्रस्तुत करनी होगी (अनुलग्नक-V)

---हस्ताक्षरित---

(बोली प्रबंधक)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
क्षेत्रीय मुख्यालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गुवाहाटी-781015
अध्यक्ष की ओर से, भा.वि.प्रा